भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3310

21 मार्च, 2023 को उत्तरार्थ

विषय: सूक्ष्म-सिंचाई निधि

3310. श्री अर्जुन लाल मीणा:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा सूक्ष्म-सिंचाई निधि के संबंध में की गई बजट घोषणा का उद्देश्य क्या है;

(ख) यह निधि सूक्ष्म-सिंचाई के विस्तार के लिए राज्यों को किस प्रकार लाभ प्रदान कर रही है और इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या सरकार कृषि क्षेत्रों, विशेषकर पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में, जल उपयोग की दक्षता बढ़ाने के लिए देश में सूक्ष्म-सिंचाई के कवरेज पर जोर दे रही है;

(घ) यदि हां, तो उक्त राज्यों में कौन-सी प्रमुख योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं और उनके उद्देश्य क्या हैं; और

(ङ) किसानों को सूक्ष्म-सिंचाई प्रणाली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु उक्त राज्यों के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-प्रति बूंद अधिक फसल (पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी) के अंतर्गत क्या विशेष प्रावधान उपलब्ध हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) और (ख) सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को गति प्रदान करने और कृषि क्षेत्र में जल उपयोग दक्षता बढ़ाने की दृष्टि से, वर्ष 2018-19 के दौरान नाबार्ड के साथ 5000 करोड़ रुपये के कोष के साथ एक सूक्ष्म सिंचाई कोष (एमआईएफ) बनाया गया था। कोष का प्रमुख उद्देश्य राज्यों को प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) के तहत उपलब्ध सहायता से परे सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को टॉप अप/अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए संसाधन जुटाने में सुविधा प्रदान करना है। इसके अलावा, राज्य विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर नवीन एकीकृत परियोजनाओं के लिए विशेष रूप से एमआईएफ का उपयोग कर सकते हैं। एमआईएफ के तहत, विभिन्न राज्यों की परियोजनाओं के लिए 4710.96 करोड़ रूपए का ऋण अनुमोदित किया गया है और अब तक, एमआईएफ के तहत राज्यों को 2437.14 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। स्वीकृत परियोजनाओं का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-I** पर उपलब्ध है।

इसके अलावा, देश में किसानों द्वारा सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के प्रयोग को दृढ़ बनाने और उसका विस्तार करने के लिए, बजट- 2021 में एमआईएफ के प्रारंभिक कोष को और 5000 करोड़ रुपये बढ़ाने की घोषणा की गई है।

(ग) से (ड.) सूक्ष्म सिंचाई कोष (एमआईएफ) के अलावा, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू) वर्ष 2015-16 से देश के पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों सहित सभी राज्यों में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी) के प्रति बूंद अधिक फसल घटक को कार्यान्वित कर रहा है। वर्ष 2022-23 के दौरान, पीडीएमसी को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है। पीडीएमसी योजना सूक्ष्म सिंचाई अर्थात ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के माध्यम से खेत पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है। योजनान्तर्गत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर प्रणाली लगाने के लिए सरकार छोटे एवं सीमांत किसानों को 55% की दर से तथा अन्य किसानों को 45% की दर से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है, जिसकी पूर्ति केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों द्वारा पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में और अन्य राज्यों के लिए 60:40 में की जाती है। इसके अलावा, किसानों को राजसहायता/सहायता योजना के दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट इकाई लागत तक सीमित है। हालांकि, सामान्य राज्यों की तुलना में पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए राजसहायता की गणना में 25% अधिक राशि निर्धारित की गई है। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों सहित सूक्ष्म सिंचाई क्षेत्र के कवरेज और राज्यों को जारी की गई केंद्रीय सहायता का विवरण **अनुबंध- II** पर दिया गया है।

लो.स.अ.प्र.सं.-3310

अनुबंध- I

सूक्ष्म सिंचाई कोष (एमआईएफ) का परियोजनावार विवरण

(रु. करोड़) (लाख हे.)

क्रं. सं.	**राज्य**	**परियोजना का प्रकार**	**कुल परियोजना लागत**	**एमआईएफ के तहत राशि**	**अनुमानित एमआई क्षेत्र**	**एमआईएफ ऋण वितरित**
1	आंध्र प्रदेश	टॉप अप सब्सिडी	1548.68	616.13	1.800	616.13
2	तमिलनाडु	टॉप अप सब्सिडी	2749.45	1357.93	4.760	1357.93
3	हरियाणा	टॉप अप सब्सिडी और नवाचार	290.72	103.38	0.410	70.9542
		नवाचार (बहिस्राव उपचारित जल के लिए एमआई)		314.3	0.234	
		नवाचार (कमांड क्षेत्र में एमआई- पीपीपी मोड)	399.97	252.08	0.229	
		अभिनव (नहर कमांड क्षेत्र में एमआई)	189.46	121.18	0.090	
		उप कुल	**880.15**	**790.94**	**0.963**	**70.9542**
4	गुजरात	टॉप अप सब्सिडी	3045.72	764.13	4.270	374.04
5	पश्चिम बंगाल	नवाचार परियोजना (मौजूदा जल स्रोतों को सिंक्रनाइज़ करना)	291.11	276.55	0.746	
6	पंजाब	टॉप-अप सब्सिडी और प्रदर्शन	298.02	149.65	0.258	18.0932
7	उत्तराखंड	नवाचार (चाय बागान)	15.63	14.84	0.009	
8	राजस्थान	टॉप अप सब्सिडी और नवाचार (कमांड क्षेत्र और क्षमता निर्माण)	1922.73	740.79	4.288	
		कुल	10751.49	4710.96	17.09324	2437.1474

लो सं.अ.प्र. सं-3310

अनुबंध- II

वर्ष 2015-16 से अब तक प्रति बूंद अधिक फसल के तहत सूक्ष्म सिंचाई क्षेत्र (हेक्टेयर) और जारी की गई केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपये) का कवरेज

क्रं.सं.	**राज्य**	**जारी की गई केन्द्रीय सहायता**	**सूक्ष्म सिंचाई क्षेत्र**
1	आंध्र प्रदेश	2507	820550
2	बिहार	121.71	23559.7
3	छत्तीसगढ	275.14	135879
4	गोवा	3.04	868
5	गुजरात	1741.8	961646
6	हरियाणा	353.79	133886
7	हिमाचल प्रदेश	116.85	10486
8	झारखंड	188.14	30134
9	जम्मू और कश्मीर	58.07	1104
10	कर्नाटक	2696.8	1695306
11	केरल	42.53	4954
12	मध्य प्रदेश	842.4	308153
13	महाराष्ट्र	2216.5	914337
14	ओडिशा	247.65	91055
15	पंजाब	56.93	11838
16	राजस्थान	1108.8	535202
17	तमिलनाडु	2196.3	962179
18	तेलंगाना	679.32	313717
19	उत्तराखंड	273.55	27903.4
20	उत्तर प्रदेश	746.79	305728
21	पश्चिम बंगाल	176.7	73007
22	अरुणाचल प्रदेश	118.4	9979
23	असम	142.03	35293
24	मणिपुर	196.36	13253
25	मेघालय	31.73	0
26	मिजोरम	151.22	4518
27	नागालैंड	241.64	11928
28	सिक्किम	213.25	11129
29	त्रिपुरा	56.26	3514
30	संघ राज्य क्षेत्र	5.63	-
	मुख्यालय	150.38	-
	कुल	**17956.73**	**7451106**

*****